

न्यायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर,

पीठासीन अधिकारी :-अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या -179/2025
बनाम

प्रार्थीगण
1. भूरा पुत्र हारून जाति मुसलमान निवारी सुवाड़ा
तहसील रामसर।

विप्रार्थी
1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0गू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 19.05.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सुवाड़ा पटवार मण्डल भाचमर के खसरा संख्या 35 व 52 में प्रार्थी का नाम बचाया पुत्र हारून दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम भूरा पुत्र हारून है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में भूरा पुत्र हारून दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को दर्ज किया गया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सुवाड़ा पटवार मण्डल भाचमर के खसरा संख्या 35 व 52 में प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर भूरा पुत्र हारून राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।



क्रमांक : रीडर/2025/
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी भूरा पुत्र हारून।

703-04

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 19.05.2025

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर

न्यायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या -178/2025

बनाम

प्रार्थीगण

1. आतम पुत्र लीलाराम जाति मेघवाल निवासी
सुराली तहसील रामसर।

विप्रार्थी

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 19.05.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा उभरे का पार पटवार मण्डल गरड़िया के खसरा संख्या 153 व 156 तथा 180 व 191 में प्रार्थी का नाम अतिया पुत्र लीला दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम आतम पुत्र लीलाराम है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में आतम पुत्र लीलाराम निवासी उभरे का पार तहसील रामसर दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम अतिया पुत्र लीलाराम अंकित कर दिया गया जिसे दुरुस्त करने हेतु यह प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को दर्ज किया गया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा उभरे का पार पटवार मण्डल गरड़िया के खसरा संख्या 153 व 156 तथा 180 व 191 में प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर आतम पुत्र लीलाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

क्रमांक : रीडर/2025/ 695-196
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी आतम पुत्र लीलाराम।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 19.05.2025

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर